


# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: प्रारूप - 6 ::

श्री सिराजशनील, व्याख्याता-हिन्दी, राउमावि कतरियासर, बीकानेर जन्मतिथि 05.09.1966 का राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 12.01.2018 को निधन हो चुका है। अतः श्री सिराजशनील, व्याख्याता-हिन्दी, राउमावि कतरियासर, बीकानेर की सेवाएँ दिनांक 12.01.2018 से समाप्त की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि स्व० श्री सिराजशनील, के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 19 के अधीन को विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।


  
(नथमल डिडेल)

निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक : 22/2/18

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवासमाप्ति/2017  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर।
2. संबंधित उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधी विभाग,
3. संबंधित उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
4. सिस्टम एनेलिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-I/II)
6. प्रधानाचार्य, राउमावि कतरियासर, बीकानेर
7. संबंधित आश्रित द्वारा राउमावि कतरियासर, बीकानेर
8. अनुभाग अधिकारी-वरिष्ठता/वि.जांच/एसीआर/एबी अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. अनुभाग अधिकारी संस्थापन सी-2 (ओएसी)
10. निजी/रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर


# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: प्रारूप - 6 ::

श्री शंकर लाल परमार, व्याख्याता-हिन्दी, राउमावि पाटिया, उदयपुर जन्म तिथि 09.08.1970 का राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 12.01.2018 को निधन हो चुका है। अतः श्री शंकर लाल परमार, व्याख्याता-हिन्दी, राउमावि पाटिया, उदयपुर की सेवाएँ दिनांक 12.01.2018 से समाप्त की जाती हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि स्व० श्री शंकर लाल परमार के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 19 के अधीन को विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।


  
(नथमल डिडेल)

निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक : 22/2/18

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवासमाप्ति/2017  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर।
2. संबंधित उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधी विभाग,
3. संबंधित उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
4. सिस्टम एनेलिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-I/II)
6. प्रधानाचार्य, राउमावि पाटिया, उदयपुर
7. संबंधित आश्रित द्वारा राउमावि पाटिया, उदयपुर
8. अनुभाग अधिकारी-वरिष्ठता/वि.जांच/एसीआर/एबी अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. अनुभाग अधिकारी संस्थापन सी-2 (ओएसी)
10. निजी/रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर


# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

श्री आनन्द चौधरी, व्याख्याता (गणित), राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रजवास शेरसिंह (दौसा) जिनकी जन्मतिथि 26.04.1985 है, का निधन दिनांक 24.01.2018 को हो जाने के फलस्वरूप दिनांक: 24.01.2018 से इनकी सेवाएँ समाप्त की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री आनन्द चौधरी के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।

  
(नथमल डिडेल)


आई.ए.एस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-3/15044/सेवा समाप्ति/भौगक/2015-16 दिनांक:- 23-2-18

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, जयपुर।
2. संबंधित उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) दौसा।
5. प्रधानाचार्य, राउमावि, रजवास शेरसिंह (दौसा)।
6. आश्रित स्व. श्री आनन्द चौधरी, व्याख्याता गणित।
7. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
8. अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठता/एसीआर/एबी/ओएसी प्रभाग।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर